पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 अगस्त, 2016 ई0 (श्रावण 22, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–33

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	417–426	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	619	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	25–30	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	47–54	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	213	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 755/XVII–3/2016–07/(11)/2015–'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह 'ग' सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह 'ग' कार्मिक सेवा नियमावली, 2016

भाग 1–"सामान्य"

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह 'ग' कार्मिक सेवा नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

इस नियमावली में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएँ–

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) "आयोग" से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय अभिप्रेत हैं;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह "ग" सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2–"संवर्ग"

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा में, कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों के द्वारा परिवर्तित न की जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट "क" में दी गई है:

परन्तु–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा श्री राज्यपाल महोदय किसी पद को इस प्रकार आस्थगित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ख) श्री राज्यपाल महोदय ऐसे अतिरिक्त स्थायी एवं अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग 3–"भर्ती"

5. भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

क्र0 सं0	पदनाम	भर्ती का स्रोत या पदोन्नति का मापदण्ड
1.	प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
2.	प्रधान सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3.	वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4.	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।
5.	कनिष्ठ सहायक	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।

6. आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–"अर्हताएँ"

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्ववर्ती देशों से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी की यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी–जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. आयु–

सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष की होगी।

तथा

कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होगी:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

9. शैक्षिक अर्हताएँ–

(क) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएँ हों:–

क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1.	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
2.	कनिष्ठ सहायक	(1) उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो। (2) हिन्दी की टंकण परीक्षा के लिए 4000 KDPH की न्यूनतम गति निर्धारित होगी।

(ख) अनिवार्य/वांछनीय अर्हता–सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

10. अधिमानी अर्हताएँ–

ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बातें समान होते हुए, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रेजी टंकण का ज्ञान प्राप्त किया हो,

(दो) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(तीन) नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

11. चरित्र–

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थिनी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो:

परन्तु यदि सरकार को समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

13. शारीरिक स्वस्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5–"भर्ती की प्रक्रिया"

14. रिक्तियों का अवधारण–

नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) (क) इस सेवा के पदोन्नति के पदों पर भर्ती "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012" के अनुसार निम्नानुसार गठित की जायेगी:–

(अ)	विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष,
(ब)	अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी	सदस्य,
(स)	सहायक निदेशक	सदस्य,
(द)	उपरजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून	सदस्य।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के सम्मुख रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।

(ग) चयन समिति द्वारा उप नियम–2 में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार किया जायेगा।

(घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(ङ) पदोन्नति पर न जाने वाले अभ्यर्थियों की पदोन्नति पर आगामी दो वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा।

(2) नियमावली के परिशिष्ट में अंकित तालिका के क्रमांक–4 पर उल्लिखित पद हेतु पदोन्नति की व्यवस्था "उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2016" के सुसंगत नियमों के अनुसार होगी।

17. संयुक्त चयन सूची–

यदि किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6–"नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता"

18. नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के अध्याधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17, यथास्थिति, के अधीन बनायी गई सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं, वहाँ नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक के दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया गया हो और नियम–17 के अनुसार संयुक्त सूचियाँ तैयार न कर ली गयी हों।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो इस संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो चयनित व्यक्तियों के नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

19. परिवीक्षा–

(1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्त पर नियुक्त व्यक्ति, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक्–पृथक् मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ायी गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो, या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किसी पद पर अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गई हो।

20. स्थायीकरण–

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि–

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

21. ज्येष्ठता–

(1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवा (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उनके नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं, जो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम–18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की वैधता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा एक से अधिक स्रोतों द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक्–पृथक् कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु–

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्ति विहित कोटे से अधिक की जाती है, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) में उनका नाम चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियत या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति इसके कोटे की रिक्ति के विरूद्ध की गयी है।

भाग 7–"वेतन आदि"

22. वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट–'क' के अनुसार होंगे।

23. परिवीक्षा के दौरान वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्य निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि, वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो तब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8–"अन्य प्राविधान"

24. पक्ष समर्थन–

किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर, चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

26. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के संबंध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

27. व्यावृत्ति–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह–'ग' कार्मिक सेवा नियमावली, 2016

परिशिष्ट "क"

(नियम–4 और 22 देखिए)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह–'ग' के पदनाम, पदों की संख्या और वेतनमान

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		निदेशालय स्तर पर स्वीकृत पद	जिला स्तर पर स्वीकृत पद	योग	
1.	प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01	₹ 9,300–34,800, ग्रेड वेतन ₹ 4,600
2.	प्रधान सहायक	01	04	05	₹ 5,200–20,200, ग्रेड वेतन ₹ 4,200
3.	वरिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	03	08	11	₹ 5,200–20,200, ग्रेड वेतन ₹ 2,800
4.	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	02	13	15	₹ 5,200–20,200, ग्रेड वेतन ₹ 2,800
5.	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	04	08	12	₹ 5,200–20,200, ग्रेड वेतन ₹ 2,000
	योग	11	33	44	

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

26 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 1022/XX–3–2016–05(17)2013–श्री राज्यपाल महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (सी0बी0आई0), 1988 (संख्या 46, वर्ष 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति पर जनहित में श्रीमती शादाब बानो, 7th अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला देहरादून को वाद संख्या 12/2010 एवं क्रिमिनल मिसलिनियस वाद संख्या 9/2014, सी0बी0आई0 बनाम श्वेताभ सुमन एवं अन्य के विचारण/सुनवाई हेतु उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधी (सी0बी0आई0), उत्तराखण्ड के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

27 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 870/XXXI (4)16–30 (विविध)2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री विक्रम सिंह, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त मुख्य निजी सचिव, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए, उक्त पद पर 06 माह की परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री विक्रम सिंह अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रभारी सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/400–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 अगस्त, 2016 ई0 (श्रावण 22, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 20, 2016

No. 206/UHC/XIV-30/Admin.A/2008--Sri Man Mohan Singh, Chief Judicial Magistrate, Champawat is hereby sanctioned medical leave for 20 days *w.e.f.* 21.06.2016 to 10.07.2016.

NOTIFICATION

July 23rd, 2016

No. 207/UHC/XIV-a/1/Admin.A/2009--Sri Rakesh Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 04.07.2016 to 16.07.2016 with permission to prefix 03.07.2016 as Sunday holiday and suffix 17.07.2016 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट / 400–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 अगस्त, 2016 ई0 (श्रावण 22, 1938 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पंचायती राज विभाग

20 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 1999/23–6(10)(2015–2016)–जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों/बाजारों में व्यापारिक/व्यावसायिक भवनों तथा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, सिनेमाघर, होटल/मोटल, मॉल आदि का नक्शा अनुमोदन के सम्बन्ध में उपविधियाँ बनायी गयी हैं। जो आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 05.11.2015 के हिन्दी समाचार–पत्र, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित की गयी। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पौड़ी से प्राप्त आख्या के अनुसार आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर भी किसी व्यक्ति/फर्म संस्था, समिति आदि से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतएव अधिनियम की धारा 242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

कार्यालय जिला पंचायत, पौड़ी

(मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति संबंधी उपविधियाँ)

सूचना

जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त की धारा 239(2) एवं उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1994 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों/बाजारों में व्यापारिक/व्यावसायिक भवनों तथा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, सिनेमाघर, होटल/मोटल, मॉल आदि का नक्शा अनुमोदन को विनियन्त्रण करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियाँ बनायी गयी हैं। जो निम्नवत् हैं। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्ति समूह को उक्त उपविधियों पर आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में आपत्तियों को कारणों सहित प्रस्तुत कर दें। 30 दिन के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं 30 दिन के पश्चात् उपविधियाँ, अधिनियम की धारा 242(2) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की पुष्टि के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशित की जायेगी।

उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल के नोटिफाईड एरिया छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रामीण बाजारों में व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों/दुकान, होटल/मोटल, 3 सितारा, 5 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूलाघर, सिनेमाघर, मॉल आदि कार्यों के निर्माण के मानचित्र (नक्शा) अनुमोदन सम्बन्धी उपविधियाँ कहलायेगी।
2. यह उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।
3. इन उपविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रामीण बाजारों का तात्पर्य जो जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल की सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कों पर या उनके किनारे ऐसे दुकान समूह तथा बाजारों से है, जो उन स्थानों पर पड़ाव आबादी के रूप में विकसित हो चुके हों तथा हो रहे हैं और जो किसी अधिसूची क्षेत्र टॉउन एरिया, कन्टोमेन्ट एरिया तथा म्युनिसिपॉल्टी के अन्तर्गत न हो।
4. यदि कोई व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति आदि जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक, व्यवसायिक उद्देश्य से भवन, दुकान, होटल, मोटल, पाँच सितारा, तीन सितारा होटल, झूलाघर, मॉल, सिनेमाघर का निर्माण तब तक नहीं कर सकते, जब तक उस फर्म/व्यक्ति/संस्था समिति में जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल से उसका मानचित्र पास/अनुमोदन न करवा लिया हो।
5. जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्र के सीमा अन्तर्गत व्यापारिक, व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल/मोटल, तीन सितारा, पाँच सितारा, होटल, भवन, इमारत, रज्जू मार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र, मॉल के निर्माण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगाः–
   (क) प्रत्येक भवन, दुकान, होटल/मोटल, तीन सितारा, पाँच सितारा, होटल, भवन, इमारत, रज्जू मार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र, मॉल का निर्माण मुख्य सड़क के मध्य 10 मी0 दूर निर्माण करना अनिवार्य होगा तथा नेशनल हाईवें के मध्य से 12.50 की दूरी होगी।
   (ख) निर्माण कार्य सड़क की नाली से बाहर करना होगा।
   (ग) दुकान, होटल/मोटल, भवन, रज्जू मार्ग, झूलाघर, मनोंरजन केन्द्र, तीन सितारा, पाँच सितारा होटल, इमारत, मॉल केन्द्र का निर्माण करते समय पर्यावरण का पूर्व ध्यान रखना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के समीप छायादार/हवादार पेड़, भूकम्परोधी उचित हिस्से में हरियाली/वृक्षारोपण तथा रोड साइड कंट्रोल ऐक्ट, रैन वॉटर हार्वेस्टींग एवं सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट लगाये जाने अनिवार्य होंगे।
   (घ) उत्तराखण्ड सरकार की आवासीय नीति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि। विनियम 2011 उत्तराखण्ड तथा संशोधित 2015 के निमयों के तहत मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदन करवाना अनिवार्य होगा।
   (ङ) भूमि सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी विवाद उठने पर निर्माणकार्य के निर्माणकर्ता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
   (च) मकान भवन/होटल निर्माण पर चिमनीदार खुली हवा की ओर रखनी अनिवार्य होगी ताकि बस्ती व पड़ोसियों पर उसका कुप्रभाव न पड़े। इसके अतिरिक्त शौचालय व पेशाब घर साथ–साथ जारी शर्तों के अनुरूप रखने होंगे तथा उनकी निकासी यदि सीवर लाईन हो तो उससे जोड़ना होगा। अगर न पड़ी हो तो सोक्ता गड्ढा ऐसे सुरक्षित स्थान पर बनाया जायेगा, जिससे नदी, नाले तथा अन्य को किसी हानि या प्रदूषण/गंदगी का सामना न करना पड़े। सफाई व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
   (छ) होटल/व्यवसायिक आवासीय भवन में कार/बस पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।
6. नक्शा अनुमोदन करवाते समय निम्न शर्तों का पालन करना होगाः–
   1. क्षेत्रीय पटवारी की तस्दीक रिपोर्ट/आख्या उस जगह की जिस क्षेत्र में होटल बनाया जाना है तथा जिस भूमि/खेत पर होटल का निर्माण किया जाना है।
   2. दाखला नकल खाता खतौनी की छायाप्रति।
   3. भूमि पंजीकरण की छायाप्रति।
   4. क्षेत्रीय ग्राम सभा प्रधान की संस्तुति।
   5. भूकम्परोधी प्रमाण–पत्र सक्षम अभियन्ता द्वारा प्रदत्त।
   6. जल संस्थान का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

7. उत्तराखण्ड पॉवर कारपो0 का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
8. पर्यावरण कंट्रोल पोल्युशन बोर्ड का प्रमाण–पत्र।
9. अग्निशमन प्रमाण–पत्र।

7. जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रीय कर निरीक्षक एवं कर अधिकारी या कनिष्ठ अभियन्ता की आख्या पर अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उपरोक्त उद्देश्य से किये जाने वाले निर्माण का कार्य के मानचित्र स्वीकृत करने के अधिकारी होंगे।
8. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक/व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल, दुकान, भवन, रज्जूमार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र के स्वामी को उपरोक्त उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन पर जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल ऐसे व्यक्ति फर्म, संस्था आदि के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।
9. होटल, मनोरंजन केन्द्र, झूलाघर, दुकान आदि का निर्माण पूर्ण होने पर तथा उसके चालू होने पर जिला पंचायत द्वारा आरोपित लाइसेंस शुल्क एवं सम्पत्ति विभवकर प्रतिवर्ष जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर शर्तों का उल्लंघन समझा जायेगां जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी की होगी।

भवन–मानचित्र की आवश्यक सैट बैक शर्तें

क्र0 सं0	प्लॉट/भू–खण्ड का क्षेत्रफल	सैट बैक (मीटर में) न्यूनतम				भूतल का अधिकतम कुर्सी क्षेत्रफल
		आगे	पीछे	दॉयी ओर	बॉयी ओर	
1.	100 मी^{2} तक	1.50	1.00	1.00	1.00	67% भू–खण्ड का
2.	101 मी^{2} से 200 मी^{2} तक	2.00	1.50	1.00	1.00	60% भू–खण्ड का
3.	201–500 मी^{2}	3.00	2.00	1.00	1.00	50% भू–खण्ड का
4.	501 मी^{2} से आगे	4.50	3.00	1.00	1.00	40% भू–खण्ड का

भवन की ऊँचाई मुख्य सड़क से लगे होने की दशा में सड़क के कोने से 45 डिग्री से अधिक न जाए।

सामान्य भवन की ऊँचाई 10.50 मी0 से अधिक न हो।

भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्न दरें न्यूनतम होनी चाहिए–

सामान्य आवासीय भवन– ₹ 10/वर्ग मी0,
सामान्य बहुद्देशीय भवन– ₹ 20/वर्ग मी0,
होटल एवं व्यवसायिक भवन– ₹ 40/वर्ग मी0।

दरें क्षेत्रफल द्वारा आंगणित सभी तलों के पूर्ण क्षेत्रफल पर लगाई जायेंगी।

शास्ति (दण्ड)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत द्वारा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल, यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी एक उपविधि का उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ₹ 10,000 (दस हजार रु0) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी हो, ₹ 500 प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर पाँच माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल।

सी0 एस0 नपलच्याल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पंचायती राज विभाग

20 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 2000/23–6(6)(2015–2016)–जिला पंचायत, चमोली द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत लदान/ढुलान अनुरक्षण हेतु शुल्क आरोपण एवं वसूली सम्बन्धी कार्य को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधियाँ बनाई गई हैं।

अतएव अधिनियम की धारा 242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

कार्यालय जिला पंचायत, चमोली

विज्ञप्ति

संख्या 1566/नो–एक (उपविधि)/2015–16–जिला पंचायत, चमोली उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चमोली अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत लदान/ढुलान अनुरक्षण हेतु शुल्क आरोपण एवं वसूली सम्बन्धी कार्य को नियंत्रित एवं विनियमित करने के निमित्त निम्नलिखित उपविधियाँ बनाई गई। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति/सुझाव हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 05.12.2015 तक अपनी लिखित आपत्ति जिला पंचायत, चमोली को भेज सकते हैं, निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियाँ

1. ये उपविधियाँ जिला पंचायत, चमोली की लदान/ढुलान तथा जन साधारण की सुरक्षा एवं सुविधा उपविधियाँ, 2015 कहलाई जायेंगी।
2. ये उपविधियाँ विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी।
3. ये उपविधियाँ जनपद चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी।
4. परिभाषाएँ–इन उपविधियों में:–
   (1) ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (ऐक्ट सं0 33, सन् 1961) में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होगी।
   (2) पशु बाजार या मेला या जनसाधारण के उपयोग में आने वाला सामान जहाँ से निश्चित अड्डे बनाकर जिला पंचायत अड्डे संचालित करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ से भी विभिन्न सामान का लदान/ढुलान होगा, इस क्षेत्र में सम्मिलित होगी।
   (3) "सार्वजनिक स्थान", सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य उस स्थान अथवा अन्य स्थानों से है। जहाँ जनसाधारण का आवागमन होता है।
   (4) "वाहन" का तात्पर्य यात्रिक वाहनों से है, जो कि लदान/ढुलान में प्रयोग किये जाते हैं।
   (5) इन उपविधियों के अन्तर्गत जो भी वाहन जनपद चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोग सामान का लदान/ढुलान में चलाया जा रहा हो अथवा उसके प्रयोजनार्थ चलाने की शंका हो उसे तलाशी हेतु इन उपविधियों के निम्न अनुसूची–1 के अनुसार शुल्क भुगतान करने हेतु रोका जा सकता है। ऐसे वाहन का मालिक/मालिकों को निर्धारित शुल्क के साथ दण्ड की धनराशि का भुगतान करना होगा, जो वाहन निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करेगा अथवा उपरोक्तानुसार रोकने पर निर्धारित अड्डों पर नहीं रुकेगा। ऐसे वाहन स्वामी के विरूद्ध अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चमोली पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है।

   टिप्पणी–वाहन मालिक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके नाम वाहन पंजीकृत हो अथवा जो वाहन चला रहा हो, या वाहन में बैठकर उसे नियंत्रित कर रहा हो।

(6) जब तक निम्न सूची के अनुसार निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया जायेगा, कोई भी वाहन पशु बाजारों में, मेलों अथवा जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से किसी वाहन से लदान/ढुलान नहीं करेगा।

(7) जिला पंचायत, चमोली अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट एजेन्सी या ठेकेदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान अथवा यातायात में सुविधा विषयक व्यवस्था की जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क की अदायगी के उपरान्त।

(8) जिला पंचायत, चमोली ऐसे स्थान स्टैण्ड या अड्डों के निर्धारण की आवश्यक व्यवस्था करेगी तथा वाहन के लदान/ढुलान हेतु जिला पंचायत, चमोली अड्डा बनायेगी, वाहन से सम्बन्धित व्यक्तियों के पानी पीने के लिए ठण्डे पानी की व्यवस्था करेगी, आवश्यकतानुसार अड्डों पर छाया की व्यवस्था भी करेगी एवं विभिन्न सामान जैसे नदियों के किनारे पत्थरों का लदान/ढुलान आदि व्यवस्थित करने हेतु रास्तों की समुचित व्यवस्था/मरम्मत भी करेगी।

(9) इन उपविधियों के अन्तर्गत कोई भी वाहन किसी भी समय और किसी भी गली में जैसे ऊपर कहा गया है निर्दिष्ट अड्डे के सिवाय जो कि इस परियोजना हेतु निश्चित है, के अलावा खड़ा नहीं करेगा और उसे खड़ा करने हेतु निर्धारित शुल्क भुगतान करेगा।

(10) जिला पंचायत, चमोली, जन सुरक्षा, सुविधा व जनसाधारण की असुविधा को दूर करने हेतु जो भी उचित/आवश्यक समझें, वह गलियों में ऐसे यातायात के नियंत्रण हेतु और स्थान निश्चित करेंगे और उसके विषय में आवश्यक हिदायतें जारी करेंगे जो कि इन उपविधियों के अन्तर्गत सभी वर्णित वाहनों, उनके स्वामी/चालकों पर बन्धनकारी होंगे। अड्डों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनता की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत, चमोली को होगा।

(11) जिला पंचायत के अधिकारियों (जिनका वर्णन जिला पंचायत अधिनियम में है) को अधिकार होगा कि वह मोटर व्हीकल ऐक्ट के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को मोटर व्हीकल ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघनों के बारे में और नियमों के उल्लंघन के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें और उचित कार्यवाही की माँग करें।

(12) जिला पंचायत, चमोली, स्टैण्ड/अड्डा या ठहरने के स्थान जो भी इन उपविधियों में ऊपर वर्णित है, के शुल्क को घटाने या बढ़ाने या किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को किसी विशिष्ट समय के अन्य के लिए छूट दे सकती है। किसानों द्वारा निजी कृषि कार्य के उपयोग के प्रयोग में लिये जा रहे वाहन इन उपविधियों के शुल्क से मुक्त होंगे।

(13) कथित शुल्क की वसूली जिला पंचायत, चमोली द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा सीधे अथवा किसी निश्चित् अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर देकर कराई जा सकती है।

टिप्पणी—नीलामी द्वारा ठेके पर ठेकेदार द्वारा वसूली कराने की दशा में अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को यह समाधान रहे, जिसके लिए वह ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध तहरीर एवं पंजीकृत करायेगा, जिस पर होने वाला कुल व्यय सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

अध्यक्ष, जिला पंचायत को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इन उपविधियों को प्रभावी एवं बन्धनकारी करने के लिए हर दशा में इस उल्लंघन को रोकने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों की सहायता से, जैसा वह उचित समझे स्वतंत्र रूप से या उल्लंघन के लिए जो दण्ड निर्धारित है, उसका उपयोग करें।

अनुसूची—1

क्र0 सं0	वाहन का नाम	लदान/ढुलान शुल्क (₹ में)
1.	मिनी ट्रक	30.00
2.	ट्रैक्टर	30.00
3.	ट्रक	50.00
4.	आठ टॉयर वाला बड़ा ट्रक (ट्रेलर)	50.00

(दण्ड)

उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के द्वारा यह हिदायत दी जाती है कि उन उपविधियों के पूर्णरूप से अथवा किसी अंश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से अर्थ दण्ड वसूल किया जायेगा, जो कि हजार रुपये तक हो सकता है और जब तक यह उल्लंघन चला रहे तो प्रथम सजा के बाद ₹ 50 प्रतिदिन, जब तक कि अपराध चले, अर्थदण्ड लिया जायेगा तथा यह समाधान हो जाये कि अपराधी उक्त विधियों का उल्लंघन करने का आदी है तो उसे तीन माह की कैद की सजा भी दी जा सकती है।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।

सी0 एस0 नपलच्याल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/400–भाग 3–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 अगस्त, 2016 ई0 (श्रावण 22, 1938 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक : 07 जून, 2016 ई0

संख्या 76/उत्तरा0–वि0स0/2012(4)–यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन मार्च, 2012 के लिये जो स्तम्भ (३) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन–क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (४) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (५) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (५) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्र0सं0.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र क्रम सं0 एवम् नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1.	2	3	4	5
1.	उत्तराखण्ड विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012	10-देवप्रयाग	जबरसिंह उर्फ क्रान्तिकारी पावेल, 85/16-2, नैशविल्ला रोड, देहरादून उत्तराखण्ड।	निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे।
2.	वही	वही	पूरण सिंह भण्डारी, ग्रा0 चामी, पटटी-पौड़ीखाल तहसील-जाखणीधार टि0ग0 उत्तराखण्ड।	वही
3.	वही	12-प्रतापनगर	मदन सिंह, गांव कोर्दी, पट्टी-रौणद रमोली, तह0 प्रतापनगर (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड।	वही
4.	वही	13-टिहरी	आशा, ग्रा0 डारगी, पो0 रानीचौरी, पट्टी मखलोगी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।	निर्वाचन व्ययो का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने मे असफल रहे।
5.	वही	वही	शिवदयाल बहुगुणा, ग्राम साबली पट्टी-बमुण्ड, पो0 साबली टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।	वही
6.	वही	14-धनोल्टी	ऊषा पवांर, ग्राम व पो0-जैद्वार, पट्टी-सिलवाड, टि0ग0 उत्तराखण्ड।	निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे।
7.	वही	वही	यशवीर आर्य, 24/2 कैनाल रोड, जाखन देहरादून उत्तराखण्ड।	निर्वाचन व्ययो का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने मे असफल रहे।

1	2	3	4	5
8.	वही	वही	चिन्तामणी, ग्राम-ढरोगी, पो0-कौशल, पट्टी-गुसांई टि0ग0 उत्तराखण्ड।	वही
9.	वही	वही	सूरज मणी, ग्राम-औतण, पो0-बंगसील, पट्टी-पालीगाड, टि0 ग0 उत्तराखण्ड।	वही
10.	वही	26-बीएचईएल रानीपुर	जनक सिंह, 19/अ, बलबीर सिंह रोड़ देहरादून, उत्तराखण्ड।	निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे।
11.	वही	27 - ज्वालापुर (अ0जा0)	प्रदीप कुमार, ग्राम 59 झीबरहेड़ी, तहसील-लक्सर उत्तराखण्ड।	वही
12.	वही	वही	जगजीवन, मो0 कडच्छ निकट अम्बेडकर चौक, हरिद्वार उत्तराखण्ड।	वही
13.	वही	वही	राजू सिंह, ग्राम रायसी तहसील लक्सर उत्तराखण्ड।	वही
14.	वही	29 - झबरेड़ा (अ0जा0)	बुद्ध सिंह, ग्राम कोटवाल, आलमपुर तह0 रूड़की, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।	वही
15.	वही	वही	सत्यपाल, ग्राम व पो0-नन्हेड़ा अनन्तपुर जनपद-हरिद्वार उत्तराखण्ड।	वही
16.	वही	29 - झबरेड़ा (अ0जा0)	संजय कुमार, शक्ति विहार पाडली गुजर पो0-मिलाप नगर रूड़की जनपद-हरिद्वार उत्तराखण्ड।	निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे।
17.	वही	30-पिरानकलियर	मौ0 इकबाल, ग्राम-भगवानपुर उत्तराखण्ड।	वही
18.	वही	31-रूड़की	नवीन जैन, ए-23 सुभाषनगर रूड़की, हरिद्वार उत्तराखण्ड।	वही

1	2	3	4	5
19.	वही	32—खानपुर	नर सिंह, 55 न्यामतपुर, पो0—लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	वही
20.	वही	वही	सईद हसन, ग्राम—जसोदरपुर, पो0ऑ0—सुल्तानपुर आदमपुर, तहसील व जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	वही
21.	वही	33—मंगलौर	अनिल कुमार, ग्राम व पोस्ट शेरपुर खेलमऊ, कस्बा झबरेड़ा, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	वही
22.	वही	34—लक्सर	गुलाम रसूल, म0नं0 109, मखियाली कलॉ, तहसील—लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	वही
23.	वही	वही	राजकुमार सैनी, ग्रा0 झीबरहेड़ी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	वही
24.	वही	35—हरिद्वार, ग्रामीण	अलादीन, ग्राम गाडोवाली, पोस्ट बहादरपुर जट्ट, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	वही
25.	वही	वही	रविदत्त बक्शी, आर्यनगर, ज्वालापुर हरिद्वार, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	वही
26.	वही	39—चौबट्टाखाल	भारत भूषण, ग्रा0 व पो0 पिनानी पटटी, घुडदौडस्यू, तह0 पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	वही
27.	वही	41—कोटद्वार	राजे सिंह, ग्रा0—नन्दपुर, पो0 पदमपुर मोटाढाक, कोटद्वार, उत्तराखण्ड	वही
28.	वही	55—चम्पावत	राकेश अग्रवाल, हाउस न0 81, बड़ा बाजार, टनकपुर, जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड	वही
29.	वही	वही	लीलावती गहतोड़ी, निवासी नई बस्ती, वार्ड नं0 5, टनकपुर, जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड	वही

आदेश से,

आर0 के0 श्रीवास्तव,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ORDER

June 07, 2016

No. 76/UKD-LA/2014(4)--WHEREAS, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2012 in Uttarakhand as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under; as shown in column (5) of the said Table; and

WHEREAS, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

NOW, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order:

TABLE

S. No.	**Particulars of Election**	**No. and Name of Assembly Constituency**	**Name and Address of Contesting Candidate**	**Reason for Disqualification**
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	10-Devprayag	Jabar Singh urf Krantikari Pawel, 85/16-2, Nesvilla Road, Dehradun Uttarakhand	Failure to lodge the accounts of election expenses
2.	-do-	-do-	Puran Singh Bhandri, Vill. Chami Patti-Paurikhal, Teh. Jakhanidhar Uttarakhand.	-do-
3.	-do-	12-Pratapnagar	Madan Singh, Vill.-Kordi, Patti-Rounad Ramoli, Tehsil-Pratapnagar, (T.G), Uttarakhand.	-do-
4.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	13-Tehri	Asha, Vill.-Dargi, P.O.-Ranichauri, Patti-Makhlogi, Tehri Garhwal, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
5.	-do-	-do-	Shivdayal Bahuguna, Vill.-Sabli, Patti-Bamund, P.O.-Sabli, Tehri Garhwal, Uttarakhand.	-do-

1	2	3	4	5
6.	-do-	14-Dhanolti	Usha Panwar, Vill.-Jaidwar, Patti-Silwad, T.G Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
7.	-do-	-do-	Yeshveer Arya, 24/2, Kenal Road Jakhan, Dehradun Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
8.	-do-	-do-	Chintamani, Vill.-Dharaogi, P.O.-Kausal, Patti-Gosian, Tehri Garhwal Uttarakhand.	-do-
9.	-do-	-do-	Surajmani, Vill.-Ontan, P.O.-Bangseel, Patti-Paligad, Tehri Garhwal Uttarakhand.	-do-
10.	-do-	26-B.H.E.L Ranipur	Janak Singh, 19/A, Balbir Singh Road Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
11.	-do-	27-Jwalapur (S.C)	Pradeep Kumar, Vill.- 59, Jheebarhedi Tehsil Laksar, Uttarakhand.	-do-
12.	-do-	-do-	Jag Jeevan , Moh. Karaccha, Jwalapur, Near-Amedkar Cowk, Jwaalapur Uttarakhand.	-do-
13.	-do-	-do-	Raju Singh, Vill.- Raisi Tehsil- Laksars Uttarakhand	-do-
14.	-do-	29-Jhabrera (S.C)	Budh Singh, Vill.- Kotwal Alampur Distt.-Haridwar, Uttarakhand.	-do-
15.	-do-	-do-	Satyapal, Vill. & Post- Nanhera Anantpur Distt.- Haridwar, Uttarakhand.	-do-
16.	-do-	-do-	Sanjay Kumar, Shakti Vihar Padli Gujjar Post-Milap Nagar Distt.- Haridwar Uttarakhand.	-do-

1	2	3	4	5
17.	-do-	30-Piran Kaliyar	Mohd. Iqbal, Vill.-Bhagwanpur, Uttarakhand.	-do-
18.	-do-	31-Roorkee	Naveen Jain, A-23 Subhash Nagar, Roorkee (Haridwar) Uttarakhand.	-do-
19.	-do-	32-Khanpur	Nar Singh, 55 Niyamatpur Post- Laksar Distt.-Haridwar Uttarakhand.	-do-
20.	-do-	-do-	Sayeed Hassan, Vill-Jasodarpur P.O. Sultanpur Adampur Tehsil & Distt. Haridwar, Uttarakhand.	-do-
21.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	33-Manglore	Anil Kumar, Village and Post-Sherpur Khelmau, Town Jhabrera, , Distt. Haridwar, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
22.	-do-	34-Laksar	Gulam Rasool, H.No. 109, Makhiyali Kala Teh. –Laksar, Distt. Haridwar, Uttarakhand.	-do-
23.	-do-	-do-	Rajkumar Saini, Vill-Jhewarheri, Teh. Laksar, Distt. Haridwar, Uttarakhand.	-do-
24.	-do-	35-Haridwar Rural	Aladdin, Gadowali P.O. Bahadarpur Jatt District Hardwar, Uttarakhand.	-do-
25.	-do-	-do-	Ravidutt Bakshi, Aryanagar, Jwalapur District Hardwar, Uttarakhand.	-do-
26.	-do-	39-Chaubattakhal	Bharat Bhushan, Vill. & Pinani Patty Gududhodsyun, Pauri Garhwal Uttarakhand.	-do-
27.	-do-	41-Kotdwar	Raje Singh, Vill.-Nandpur, Post-Padampur, Motadhak Kotdwar, Uttarakhand.	-do-

1	2	3	4	5
28.	-do-	55-Champawat	Rakesh Agarwal, H.No. 81 Bara Bazar Tanakpur, Distt. Champawat, Uttarakhand.	-do-
29.	-do-	-do-	Lila Wati Gahtori, R/o Ward No. 5 Nai Basti Tanakpur, P.O. Tanakpur Distt. Champawat, Uttarakhand.	-do-

By Order,

R. K. SRIVASTAVA,

Senior Principal Secretary,

Election Commission of India.

RADHA RATURI,

Principal Secretary &

Chief Election Commissioner.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/400–भाग 7–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 अगस्त, 2016 ई0 (श्रावण 22, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पति के सैन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश से मेरा नाम प्रभा शाह अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम चन्द्र प्रभा शाह है। भविष्य में मुझे इसी नाम चन्द्र प्रभा शाह नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

चन्द्र प्रभा शाह
पत्नी मेजर जनरल सुरेन्द्र शाह
वीर चक्र विशिष्ट सेवा मैडल
निवासी 2–34, ग्रीश निवास
पोस्ट–भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी,
जिला नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/400–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।